***वाद सं. 28/13 सज्जन देवी/ नगर परिषद***

5–10–2019

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी. एवं वादी की ही ओर से प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम पर बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी ने अपने प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी. के अनुरूप तर्क प्रस्तुत किया कि वादी ने वाद के साथ फर्द दस्तावेज के क्रम सं. 1 व 2 पर अंकित इकरारनामा दिनांक 12–4–2089 तथा इकरारनामा दिनांक 25–8–1989 की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की थी, जिनकी असल वास्ते साक्ष्य आज प्रस्तुत की जा रही है तथा क्रम सं. 59 व 60,67 पर अंकित लीज मुक्ति प्रमाणपत्र दिनांक 9–12–2015 व नगर सुधार न्यास द्वारा जारी रजिस्टर्ड पटटे का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, प्रदर्श 62 पर अंकित लीज मुक्ति प्रमाणपत्र दिनांक 8–9–2017 प्रदर्श 69 का असल, क्रम सं. 64 पर अंकित रसीद दिनांक 11–8–2017 प्रदर्श 71 का असल, क्रम सं. 65 पर अंकित मुख्त्यारनामा दिनांक 3–4–2014 प्रदर्श 72 की असल, क्रम सं. 68 पर अंकित पर अंकित श्रीमती मधु कोठारी को आवंटित पटटा दिनांक 18–11–15 प्रदर्श 74 की असल, क्रम सं. 69 व 63 पर अंकित श्रीमती मधु कोठारी को आवंटित पट्टा दिनांक 16–8–17 तथा मुख्त्यारनामा दिनांक 28–2–2013 की असल आज प्रस्तुत की जा रही है, जो पूर्व में प्रस्तुति नहीं किये जा सके थे, इसलिए उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लेने की कृपा करें।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने विरोध में तर्क प्रस्तुत किया कि वादी के पास उक्त दस्तावेज की जानकारी पूर्व से थी तो इतने विलम्ब से क्यों पेश किया गये है, पूर्व में ही वादी इस दस्तावेजों को पेश कर सकता था इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। उक्त दस्तावेज मूल प्रस्तुत किये गए हैं, जिनकी फोटोप्रति पूर्व में फर्द के साथ प्रस्तुत की गई है। इसलिए उक्त दस्तावेजात के कूटरचित होने का कोई अंदेशा नहीं है और न ही ऐसी कोई आपत्ति प्रतिवादी द्वारा की गई है। प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत है जिससे प्रतिवादी को उक्त दस्तावेजात पर जिरह और प्रतिरक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, इसलिए दस्तावेज रिकार्ड पर लेने से प्रतिवादी के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड रहा है। वादी का दावा वर्ष 2013 का है। वादी को अपने दस्तावेज दावे के साथ पेश करने आवश्यक थे, दस्तावेज वादी के पास नहीं हों यह भी कथन नहीं किया है। दावे को लगभग 6 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो विलम्ब कारित है। इसलिए प्रार्थनापत्र 1000/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है।

————————————

वादी की ओर से अन्य प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के अनुरूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि फर्द दस्तावेज के क्रम सं. 47 पर अंकित अजमेर विकास प्राधिकरण की कार्यालय टिप्पणी प्रदर्श 55 दिनांकित

14–10–2015 व क्रम सं. 48 पर अंकित पत्राचार व जांच रिपोर्ट प्रदर्श 65 की फोटो प्रतियां है जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां वादिया के पास उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए प्रदर्श इन पर प्रदर्श 55, 56, 63 व 65 डाला गया है जिनको द्वितीय साक्ष्य में ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की ओर से विरोध में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी की ओर से जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है वह वादी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकता था जो वादी के द्वारा प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं तथा असल दस्तावेज के संबंध में वादी की ओर से कोई कथन नहीं किया गया है कि वे किसके कब्जे में है इसलिए प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज करने की कृपा करें।

सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गयां उक्त प्रार्थनापत्र के जरिये वादी द्वारा जो फोटो प्रतियों पर दो तीन दस्तावेजों पर प्रदर्श डाले गए हैं वे कार्यालय आदेश वगैरह की प्रतियां हैं। हालांकि उनके कूटरचित होने या फर्जी होने की कोई सम्भावना नहीं है, न ही इस तथ्य पर प्रतिवादी ने कथन किया है कि जो दस्तावेज फोटोप्रतियां प्रस्तुत की गई हैं वे कूटरचित हों या गलत हों। कार्यालय के पत्राचार वगैरह हैं, जनको हम असत्य नहीं मान सकते, उनकी फोटो प्रतियों पर प्रदर्श अंकित किया गया है। हालांकि उक्त दस्तावेज सरकारी दस्तावेज हैं, जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि वादी प्राप्त कर सकता था। वादी की ओर से यह तथ्य भी तर्क के समय प्रस्तुत किया गया था कि उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु वादी द्वारा आवेदन कर दिया गया है।

इसलिए उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतलिपियां प्राप्त होने पर वादी प्रस्तुत भी कर सकता है। उक्त दस्तावेजों के बारे में प्रतिवादी अनभिज्ञ नहीं है तथा उक्त दस्तावेजों पर जिरह का अधिकार भी प्रतिवादी को मिलेगा। इसलिए उनपर प्रदर्श डाला जाता है तो प्रतिवादी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। हालांकि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र विलम्ब से पेश किया गया है इसलिए उक्त विलम्ब का शमन कोस्ट के जरिये किया जा सकता है।

लिहाजा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम 1000/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक..... को पेश हो।